हापुड़ पुलिस

प्रेस नोट

थाना - बहादुरगढ़ **दिनांक 31.08.2024**

हापुड़ पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी करते हुए 02 हत्यारोपियों को *आजीवन कारावास एवं 27 व 25 हजार रुपये (कुल 52 हजार रुपये) के अर्थदण्ड* से दण्डित कराया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वर्ष 2019 में थाना बहादुरगढ़ क्षेत्रांतर्गत अज्ञात अभियुक्तों द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसके शव को ईख के खेत में डालकर आग लगा दी गई थी, मृतक की शिनाख्त अमित कुमार निवासी ग्राम बिहूनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड के रूप में हुई थी। जिसके सम्बन्ध में थाना बहादुरगढ़ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों (अंकित व रिंकू) को मय अवैध असलहा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था व ***करीब 115 दिनों में आरोप पत्र*** मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया था।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे ***“ऑपरेशन कन्विक्शन"*** अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा ***थाना बहादुरगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 29/2019 धारा 302, 34, 201 भादवि व मु0अ0सं0 57/2019 धारा 25 आर्म्स एक्ट मामले में*** मा0 न्यायालय में सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 31.08.2024 को ***मा0 न्यायालय एडीजे/ एफटीसी-प्रथम हापुड़*** द्वारा ***02 हत्यारोपियों को आजीवन कारावास एवं 27 व 25 हजार रुपये (कुल 52 हजार रुपये) के अर्थदण्ड*** **से दण्डित किया गया है।**

सिद्धदोष अपराधियों का नाम व पताः-

1. अंकित पुत्र संजीव निवासी ग्राम बिहूनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। (अर्थदण्ड 27 हजार रु0)
2. रिंकू पुत्र ब्रजनाथ निवासी ग्राम बिहूनी थाना बहादुरगढ़ जनपद हापुड़। (अर्थदण्ड 25 हजार रु0)